

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)**

**बईजलास – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 46 / 2017

दायरी दिनांक : 15.05.2017

**उनवान**

1. लालूराम मुतबन्ना मोडा जाति माली निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़।

वादी

**बनाम**

1. भैरु पिता चतरभुज जाति बारैठ निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादी

उपस्थित :-

- श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता वादी)
- प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही।

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955**

**-: निर्णय :-**

निर्णय दिनांक : 25.08.2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाता है कि ग्राम सरथला पटवार हल्का सरथला तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 168 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा में से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शों की तरमीम अनुसार वादी को एवं जमाबन्दी व वर्तमान नक्शा तरमीम अनुसार प्रतिवादी को कब्जा सुपुर्द किया जावे। हर्जा खर्चा मुकदमात फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

डिक्री आदेश आज 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।

**उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)**  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़

**वाद के खर्चे**

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	—	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—		3. प्लीडर की फीस	—	
4. ....	—		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	
प्लीडर की फीस	—				
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—				
6. कमिश्नर की फीस	—		5. आदेशिका को तामील	—	
7. आदेशिका की तामील	—		6. कमिश्नर की फीस	—	

**उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)**  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़